न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **अमीलाल मीणा**

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का रघुनाथपुरा,

बनाम

श्रीमती प्रमिला देवी वगै0 जाति मेघवंशी निवासी गोठड़ा हाल आवाद धोलाखेड़ा

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

अर्तगत धारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 09 / 2021 दिनांक 16.02.2021

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का रघुनाथपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम धोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकवा 42.27 है0 किस्म वंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आवादी 0.85 है0 में से 0.09 है0 सरकारी भूमि पर श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी सुभाष चंद संतरा देवी पत्नी प्रकाश उम्मेद कुमार पुत्र वेगाराम निवसी गोठड़ा तहसील नवलगढ हाल धोलाखेड़ा व महावीर प्रसाद पुत्र सुरजा राम जाति मेघवाल निवासी खींवासर हाल आवाद धोलाखेड़ा ने अनाधिकृत रुप से तार की वाड़ लगा कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी वावजूद तामील अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी उक्त सरकारी भूमि वाके ग्राम धोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकवा 42.27 है0 किस्म वंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आवादी 0.85 है0 में से 0.09 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य / सवूत पेश नहीं किया हैं, वावजूद तामील अनुपस्थित रहा है।

 कृ. पृ. उ.

ना. तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिकमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम धोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकवा 42.27 है0 किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आवादी 0.85 है0 में से 0.09 है0 सरकारी भूमि पर से श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी सुभाष चंद संतरा देवी पत्नी प्रकाश उम्मेद कुमार पुत्र बेगाराम निवसी गोठड़ा तहसील नवलगढ हाल धोलाखेड़ा व महावीर प्रसाद पुत्र सुरजा राम जाति मेघवाल निवासी खींवासर हाल आवाद धोलाखेड़ा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.09 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 5/– रुपये (अक्षरे रू पांच मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(अमीलाल मीणा)

ना. तहसीलदार उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी

2020-21

5

पृ. सं. 2

123